Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.-100/2024]

Narayan Mahto and Others .....Appellant

Versus

Babulal Mahto and Others .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	15.4.2026	**आदेश** यह अपील वाद न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा द्वारा बी.एल.डी. आर. वाद संख्या-17/2023-24 में दिनांक-22.5.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-	

मौजा/थाना संख्या	खाता नया	खेसरा	रकवा
महिषी/105	2434	6134	4 डी.
		6135	3 डी.

दिनांक-04.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थीगण का कहना है कि प्रश्नगत जमीन खाता नया-2434 की जमीन हाल सर्वे खतियान में अपीलार्थीगण के पिता-श्री बौधू महतो व मनटू महतो, पिता-सोनाय महतो के नाम से दर्ज है। उनका कहना है कि विपक्षीगण की भी मरौसी जमीन खेसरा नया-6136 अपीलार्थीगण के जमीन से सटे उत्तर में है। उनका कहना है कि विपक्षी संख्या-1 बाबूलाल महतो अपीलार्थीगण के मरौसी जमीन के पश्चिम खेसरा नया-3133 बिहार सरकार की जमीन में गाय माल वो मवेशी के साथ फूस का घर बना कर रहने लगे। तथा यह कि विपक्षी द्वारा अपीलार्थीगण के निजी खेसरा संख्या-6134 के अंश को पश्चिम से 2900 वर्गकड़ी नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिये। उनका कहना है कि उनके प्रश्नगत जमीन के उत्तर चौहद्दी में विपक्षी का खेसरा संख्या-6136 का मरौसी जमीन है। तथा विपक्षी द्वारा अपने जमीन में बॉन्ड्रीवाल करने के पश्चात अपीलार्थी के खेसरा संख्या-6135 के जमीन के उत्तर भाग से रास्ता का मांग करने लगे जो विवाद का मुख्य कारण है। उनका कहना है कि दिनांक-13.4.2008 को पंचनामा के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो सही नहीं है।

विपक्षी का कहना है कि उभय पक्षों के बीच वाद-पत्र में वर्णित भूमि के संदर्भ में दिनांक-13.4.2008 को ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामीण गणमान्य पंचों के समक्ष अमीन श्री सत्यनारयण लाल द्वारा नापी पश्चात एक पंचनामा तैयार किया गया जिसमें अमीन द्वारा तैयार नक्शा तथा उस पर उभय पक्षकारों सहित उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर के साथ यह निर्णय लिया गया कि खाता पुराना-2872, खेसरा पुराना-5045, रकवा-1 कट्ठा, खेसरा नया-3137, रकवा 4 डी. तथा खेसरा नया-6138, रकवा-5 डी. पश्चिम की जमीन पर नारायण महतो का ईंट का मकान है। तथा जिसके पश्चिम बौआलाल महतो वगैरह विपक्षी का दखल कब्जा रहेगा। तथा नारायण महतो के घर के दीवाल से उत्तर और पश्चिम 1 कड़ी जमीन नरायण महतो को दिया गया। जबकि पूरब से केवल महतो के गहबर से दक्षिण रास्ता 12 कड़ी चौड़ाई है, जो बौआलाल महतो वगैरह के उपयोग के

15.4.2026

लिए है। जिसका उपयोग बौआलाल महतो सभी भाई करेंगे। तथा मुख्य सड़क से 120 कड़ी पश्चिम तक रास्ता रहेगा। उनका कहना है कि उक्त पंचनामा के अनुसार उभय पक्ष अपने-अपने जमीन पर हकदार व दखलकार रहते आये हैं। उनका कहना है कि विपक्षी संख्या-2 केवल महतो वासगीत पर्चा द्वारा प्राप्त जमीन खेसरा संख्या-6136 पर दो मंजीला पक्का मकान सेप्टी टेंक आदि बना कर कभी भी दक्षिण से बाउन्ड्री देकर पीछे बसे अन्य फरीकेन का रास्ता बंद नहीं किया है। बल्कि रास्ता का उपभोग सभी फरीकेन अद्यतन करते चले आ रहे हैं। उनके द्वारा इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों/LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी द्वारा खानदानी जमीन रहने के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी की ओर से पंचनामा के आधार पर प्रश्नगत जमीन से रास्ता प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। सुनवाई में विपक्षी की ओर से वर्णित पंचनामा के कानूनी वैधानिकता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं किया जा सका है। साथ ही पंचनामा के आधार पर (अन्य पक्ष की आपत्ति होने पर) जमीन पर दावा किये जाने का वैधानिक आधार सुनवाई में उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त तथ्यात्मक/कानूनी बिन्दुओं को Overlook करते हुए आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

15/4/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

15/4/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।